[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 18/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो" (**बोतल ग्रेड पीईटी रेसिन, रीसाइकल्ड पीईटी रेसिन को छोड़कर**), एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3907 61 90 या 3907 69 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विषयगत देश से विषयगत वस्तु के होने वाले फालतू आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए इस पर प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगइन चैनगोल्ड पैकेजिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड/चाइना प्रास्पेरिटी (जिआंगइन) पैट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड	146.11	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	वांकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	15.54	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	जिआंगसू झिंगई प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड/जिआंगयीन झिंगयू न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड/ जिआंगसू सनफेम इंटरनेशनल ट्रैड कंपनी लिमिटेड	60.92	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2 और 3 में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न कोई भी	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		ग्राम या इससे अधिक हो*			उत्पादक			
5.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	39076190 और 39076990	पोलीइथीलीन टेरेफ्थालेट रेसिन, जिसकी अंतर्भूत स्यानता 0.72 डेसी लीटर प्रति ग्राम या इससे अधिक हो*	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	200.66	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

*** बोतल ग्रेड पीईटी रेसिन, रीसाइकल्ड पीईटी रेसिन को छोड़कर**

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** (**1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या-354/112/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार